संख्या–1167/47–का–3–08–9/50/2005

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबधन अकादमी,
सेक्टर–डी,अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 09 जुलाई, 2008

विषयः–"सेंटर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र), उत्तर प्रदेश" की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबधन अकादमी, सेक्टर– डी–, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में "सेंटर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र), उत्तर प्रदेश" की स्थापना किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– "सेंटर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र), उत्तर प्रदेश" को एक सोसाइटी के रूप में संचालित किया जायेगा, जिसका प्रबन्धन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बनी गवर्निंग बाडी द्वारा किया जायेगा। कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/वित्त विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नियोजन विभाग तथा प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग गवर्निंग बाड़ी के सदस्य होंगे तथा निदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबधन अकादमी, लखनऊ इसके कार्यकारी सचिव होंगे। कार्यकारी सचिव द्वारा सुशासन केन्द्र, उत्तर प्रदेश के कार्यों का संचालन शासन द्वारा निर्धारित कार्य–योजना (शेड्यूल) के अनुरूप समयान्तर्गत किया जायेगा। इस सन्दर्भ में "सेंटर फार गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश" के लिए बनाये गये रूल्स तथा मेमोरैण्डम आफ एसोसियेशन की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3– "सेंटर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र) उत्तर प्रदेश" द्वारा उत्तम प्रशासन के एक संस्थान के रूप में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को उच्चकोटि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह संस्था राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी तथा विकास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस एकत्र करेगी एवं कंसलटेंट के डाटाबेस तैयार करेंगी। यह छोटी–छोटी परियोजनायें भी संचालित करेगी, ताकि प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन लाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे :–

(1) मा0 विधायकों के लिए प्रशिक्षण आदि आयोजित करना।
(2) एन0आर0ई0जी0पी0 (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) का सोशल आडिट (सामाजिक सम्परीक्षा) कराना।
(3) राज्य के लिए ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम तैयार करना।
(4) भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए रणनीति तैयार करना।
(5) गवर्नमेंट बिजनेस प्रोसेस को रिफार्म करना।

4— "सेंटर फार गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश" का मुख्यालय लखनऊ में होगा और भविष्य में यदि आवश्यकता होगी तो इसके अधीनस्थ कार्यालय भी प्रदेश में स्थापित किये जा सकेंगे। जब तक इसका मुख्यालय कहीं स्वतन्त्र रूप से नही स्थापित कर दिया जाता है, तब तक के लिए यह संस्था उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, सेक्टर—डी, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में एक पृथक् इकाई के रूप में कार्य करेगी। निदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा कार्यकारी सचिव के रूप में इस संस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण रूप से विकसित एवं कार्यशील बनाने की कार्यवाही गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष की अनुमति से सुनिश्चित की जायेगी तथा इस संबंध में आवश्यक सुविधाओं / साज — सज्जा /धनराशि की मांग शासन से की जायेगी।

5— "सेंटर फार गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश" के प्रारम्भिक कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति के आदेश शासन द्वारा पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक:— यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

संख्या— /47—का—3—08—9/50/2005, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4— कृषि उत्पादन आयुक्त,/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त,उ0प्र0।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6— गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष/सदस्यगण।
7— महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
8— महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,सेक्टर—डी, अलीगंज, लखनऊ।
9— नोडल अधिकारी/विशेष सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
10— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
12— निदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ /कार्यकारी सचिव, सेंटर फार गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र) उ0प्र0 सेक्टर—डी, अलीगंज, लखनऊ।
13— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1, उ0प्र0शासन।
14— मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—3 (घोषणा प्रकोष्ठ), उ0प्र0शासन।
15— नियुक्ति अनुभाग—6, उ0प्र0शासन।
16— अनुभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।